

मनमानी बिना नंबर और कामर्शियल परमिट के दौड़ रहे ट्रैक्टर

सीवर लाइन के नाम पर कानून की खुलेआम उड़ा रहे धज्जियां

शहडोल, नवभारत। शहर भर में इन दिनों सीवर लाइन कार्य के नाम पर अराजकता का माहौल बना हुआ है। इस कार्य में लगे ट्रैक्टर न सिर्फ नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि आमजन की जान को भी गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। हालात यह हैं कि बिना नंबर प्लेट और बिना किसी कामर्शियल परमिट के ट्रैक्टर सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं, मानो उन पर किसी कानून का कोई शिकंजा ही न हो।



सीवर लाइन खुदाई से निकली मिट्टी और बड़े-बड़े पत्थरनुमा बोल्टर ट्रैक्टरों में भरकर तेज रफ्तार में पूरे शहर में दौड़ा जा रहा है। न तो इन वाहनों पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है और न ही ओवरलोडिंग पर कोई नियंत्रण है। कई ट्रैक्टरों में तो चालक नाबालिग या बिना लाइसेंस के नजर आ रहे हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका और भी बढ़ जाती है।

हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। सबसे गंभीर बात यह है कि अब तक किसी बड़े हादसे के इंतजार में जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं। नगर निगम, यातायात पुलिस और संबंधित ठेकेदारों की लापरवाही साफ झलक रही है। नियमों के अनुसार कामर्शियल कार्य में लगे वाहनों का पंजीकरण, परमिट, फिटनेस और बीमा अनिवार्य होता है, लेकिन यहां तो अधिकांश ट्रैक्टर इन बुनियादी शर्तों पर भी खरे नहीं उतरते।

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की गई और न ही उनकी रफ्तार और ओवरलोडिंग पर रोक लगाई गई। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो कोई भी दिन शहर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या

प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही जागोगा, या फिर समय रहते इन अवैध और बेलगाम ट्रैक्टरों पर लगाम कसी जाएगी। शहर की जनता मांग कर रही है कि सीवर लाइन कार्य में लगे सभी वाहनों की तत्काल जांच हो, बिना नंबर और परमिट वाले ट्रैक्टरों को जब्त किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि शहरवासियों को इस खतरे से राहत मिल सके।

बेलगाम ट्रैक्टर लोगों के लिए बन रहे जानलेवा साबित

इन बेलगाम ट्रैक्टरों के कारण शहर की सड़कों पर हर समय धूल के गुबार उड़ते रहते हैं। राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और दुकानदारों को सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। धूल के कारण आंखों में जलन, सांस संबंधी बीमारियों और दृश्यता कम होने से

शहर में चल रहे सीवर लाइन कार्य ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी है। इस कार्य में लगे ट्रैक्टर पूरी तरह बेलगाम नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अधिकांश ट्रैक्टरों पर न तो नंबर प्लेट लगी है और न ही उनके पास कोई कामर्शियल परमिट है। इसके बावजूद ये ट्रैक्टर शहर की व्यस्त सड़कों पर खुलेआम फर्राटा भरते दिखाई दे

कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, प्रशासन बेखबर

शहर में चल रहे सीवर लाइन कार्य ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी है। इस कार्य में लगे ट्रैक्टर पूरी तरह बेलगाम नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अधिकांश ट्रैक्टरों पर न तो नंबर प्लेट लगी है और न ही उनके पास कोई कामर्शियल परमिट है। इसके बावजूद ये ट्रैक्टर शहर की व्यस्त सड़कों पर खुलेआम फर्राटा भरते दिखाई दे

धूल के गुबार से शहरवासियों का जीना हुआ दूधर

इन अवैध ट्रैक्टरों के कारण पूरे शहर में धूल के गुबार उड़ रहे हैं। सड़क किनारे रहने वाले लोग, दुकानदार और राहगीर धूल से परेशान हैं। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और एलर्जी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। शहरवासियों ने मांग की है कि

इनका कहना है

सीवर लाइन के कार्य में लगे ट्रैक्टर यदि बिना कामर्शियल परमिट और बिना नंबरों के चल रहे हैं तो उनकी जांच कराकर उन पर कार्यवाही की जाएगी।

संजय जायसवाल यातायात प्रभारी, शहडोल अनुबंध में जितने वाहनों की जानकारी दी गई है वे सभी कामर्शियल हैं, उनके अतिरिक्त हो सकता है ठेकेदार ने अन्य वाहन लगाए हों, दिखवावें।

विजय सिंह महाप्रबंधक, एमपीव्यूडोसीएल



उमरिया को पहली पारी की बढ़त पर मिले 3 अंक

अंतर जिला सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता

शहडोल। संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन शहडोल में उमरिया और अनुपपुर के बीच खेला गया। टॉस जीतकर उमरिया ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अनुपपुर की पहली पारी 93 रनों पर सिमट गई। उमरिया की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए मासूम राजा कैफ और कुणाल

गोप्लानी ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि रोशन केवट और राम चैधरी को दो-दो सफलता मिली। 93 रनों के लक्ष्य के जवाब में उमरिया ने पहली पारी में 281 रन बनाए और 188 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की। बल्लेबाजी में मासूम राजा ने शानदार नाबाद 108 रन बनाए, वहीं राम चैधरी ने महत्वपूर्ण 57 रनों की पारी खेली। अनुपपुर ने दूसरी पारी में जोरदार वापसी की। सज्जाद अंसारी ने नाबाद 189 रनों की बेहतरीन पारी खेली और उमरिया को दूसरी पारी खेलने के लिए आमंत्रित किया। उमरिया को

जीत के लिए 137 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन समय की कमी के चलते 9 ओवर का ही खेल संभव हो सका। इस प्रकार मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ, लेकिन पहली पारी की बढ़त के आधार पर उमरिया को 3 अंक प्राप्त हुए। मैच के निर्णायक सिक्कर और अभिजीत सिंह रहे, जबकि स्कोरर की भूमिका संदीप सतनामी ने निभाई। मैच के दौरान मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सीडीसी सदस्य शांतनु त्रिपाठी, संभाजी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील खरे एवं सचिव अजय द्विवेदी भी उपस्थित रहे।

शीत लहर से बचने बुजुर्गों एवं शिशुओं का रखें विशेष ध्यान : सीएमएचओ

शहडोल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने शीत लहर से बचने जिलेवासियों से अपील करते हुए बताया कि शीत ऋतु में फ्लू, खासी, सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि शीत ऋतु में पर्याप्त गर्म कपड़े (टोपी, दस्ताने, मफलर, मोझे और जूते) जरूर पहनें। अंदर सूती और बाहर ऊनी कपड़े पहनें ताकि शरीर का तापमान बना रहे, बहुत चुस्त कपड़े न पहनें इससे रक्त संचार बाधित हो सकता है, अत्यधिक आवश्यकता न हो तो घर से बाहर निकलने से बचें, पौष्टिक भोजन और विटामिन सी से भरपूर फल व सब्जियां नियमित रूप से खाएं, शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म पेय पदार्थ जरूर

पिएं, बुजुर्गों, नवजात शिशुओं और बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, रूम हीटर का उपयोग करते समय कमरे में हवा निकासी (वेंटिलेशन) का उचित प्रबंध रखें। उन्होंने कहा कि शीत ऋतु में स्वास्थ्य खराब होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर चिकित्सकीय सलाह अवश्य लें, झाड़ू फूंक या अनावश्यक बहकावे में न आएं। उन्होंने कहा कि विशेषकर 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजन, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, दीर्घकालिक हृदय अथवा श्वसन रोग व्यक्ति, बेघर व्यक्ति, खुली जगहों पर कार्य करने वाले श्रमिक, सड़क पर रहने वाले लोग, खुले क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों द्वारा शीतलहर के दौरान विशेष सतर्कता की आवश्यक है।

मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने पर 20 हजार का जुर्माना

कटनी। मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के मामले में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नीलांबर मिश्रा ने अमानक दूध और पनीर के विक्रय और संग्रहण के खिलाफ कार्रवाई करते प्रतिष्ठान संचालक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीएम द्वारा जारी आदेश में अर्जित अनुचित लाभ और उल्लंघन की पुनरावृत्ति के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए माधवनगर क्षेत्र में संचालित आर्शू डेयरी फर्म के सोनेलाल यादव को अमानक और मिथ्याछाप दूध और पनीर का संग्रहण कर विक्रय करने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अनावेदक को जुर्माने की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करनी होगी।

समाजसेवी युवाओं ने गौशाला पहुंचकर किया सेवा कार्य, गरीबों को बांटे कंबल

गौसेवा और नर सेवा कर मनाया जन्मदिवस

शहडोल। नगर के युवाओं ने अपने जन्मदिवस को पारंपरिक उत्सव से अलग हटकर सेवा और संवेदना के भाव के साथ मनाते हुए समाज के लिए प्रेरणास्पद उदाहरण प्रस्तुत किया। नगर के सिंधु नव युवक सेवा मण्डल के प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं व्यवसायी महेन्द्र मोटवानी (गुड्डू), रवि लालवानी तथा संजू सोनी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर नंदी गौ सेवा धाम, शहडोल पहुंचकर गौसेवा एवं गरीबों की सेवा को प्राथमिकता दी। इस अवसर पर युवाओं ने गौमाता को गुड्डू खिलारकर पूजा-अर्चना की तथा गौशाला के



संचालन में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने गौशाला प्रबंधन को हरसंभव सहयोग देने और भविष्य में आने वाली परेशानियों के निराकरण हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता भी जताई। सेवा कार्य

को और व्यापक बनाते हुए समाजसेवी युवाओं ने शीतलहर एवं भीषण ठंड को देखते हुए नगर के गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरों

पर राहत और खुशी देखने को मिली। इस अवसर पर दिलीप लाहोरी, राजकुमार लाहोरी, अनिल सनपाल, मनीष हिंदुजा, चिराग सनानी, विपुल लालवानी, हरीश सिंहानी, कामेश्वर उत्तमानी,

मोंडिया जगत से संजीव गुप्ता, सुनील मिश्रा, मनीष शुक्ला, प्रदीप गुप्ता सहित नंदी गौसेवा संस्थान के सेवादार विकास जोतवानी, सुशील रजक, खुशबू सोनी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने युवाओं के इस सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि जन्मदिवस जैसे निजी अवसरों को समाजसेवा से जोड़ना युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम के दौरान गौशाला प्रबंधन एवं स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। युवाओं ने संदेश दिया कि 'सेवा ही सच्चा उत्सव है' और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के विशेष अवसरों पर समाज और मानवता के हित में योगदान देना चाहिए।

रेलवे की व्यवस्था पर चार चांद लगा रहे निजी कैंटीन

स्टेशन प्रबंधक के सहयोग से ब्योहारी स्टेशन में किया नवाचार



ब्योहारी। इन दिनों रेलवे स्टेशन ब्योहारी में स्टेशन प्रबंधक मान सिंह मीना ने स्टेशन की व्यवस्था पर चार चांद लगा दिया है। यहां की व्यवस्था को देखकर यात्रियों का मन गदगद हो जाता है और वहीं स्टेशन मास्टर एवं ट्रेन मैनेजर द्वारा भी यात्रियों को किसी भी प्रकार असुविधा न हो उसका ध्यान रखते हुए निरंतर प्रयास रत देखे जा रहे हैं। चर्चा के दौरान स्टेशन प्रबंधक द्वारा बताया गया कि यात्रियों की सुविधा के लिये रेल प्रशासन द्वारा यहां चार कैंटीन प्लेटफार्म एक में दो और प्लेटफार्म दो में दो कैंटीन ठेका में देकर संचालित कराया जा रहा है। प्लेटफार्म एक में एक कैंटीन अजय कुमार मिश्रा के नाम संचालित है जिसके मालिक व

आथराइजेशन परसन स्वयं अजय मिश्रा हैं और दूसरी कैंटीन जे आर खाना खजाना के नाम पर संचालित है जिसके मालिक निर्मला देवी झाँसी की हैं जिसका आथराइजेशन परसन शुरेश यादव है। इसी तरह प्लेटफार्म 2 में एक कैंटीन किरण ट्रेडर्स जिसके मालिक किरन शुक्ला ब्योहारी जिसके आथराइजेशन परसन पंकज शर्मा और दूसरा प्रियंका ट्रेडर्स के नाम संचालित है जिसके

मालिक प्रियंका साकेत ब्योहारी और आथराइजेशन परसन संदीप पाल है। कैंटीन संचालक द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा स्वयं व अपने आथराइजेशन परसन से कैंटीन का संचालन कराया जाता है यहां स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है पर कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं।

यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य : एसपी

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम

शहडोल। पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिले में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इसी अनुक्रम में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात प्रभारी संजय जायसवाल के नेतृत्व में नेहरू डिग्री कॉलेज बुद्धार में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में यातायात प्रभारी संजय जायसवाल ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य एवं जिम्मेदारी है। दो पहिया वाहन



में बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट का जरूरी उपयोग करना चाहिए। यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं दूसरों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। वाहन निर्धारित

गति में ही चलाएं, बना ड्रायविंग लायसेंस के वाहन नहीं चलाएं। संकेतकों का पालन करें। इस अवसर पर यातायात जागरूकता संबंधी वि्वज प्रतियोगिता एवं

प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को हेलमेट प्रदान कर सम्मानित किया गया।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं Md Aymaan Siddiqui पिता श्री Mohammad Aboo Shaukat (M A Shaukat) निवासी F-22, Swastik Green City, ward 21 Sahagpur Shahdol MP कथन करता हूँ कि मैंने पासपोर्ट नंबर L82411492 में मेरा नाम Mohammad Aymaan पिता श्री Mohammad Aboo Shaukat लिखा है, जिसे मैंने बदलकर Md Aymaan Siddiqui पिता श्री Mohammad Aboo Shaukat (M A Shaukat) कर लिया है। अतः मुझे Md Aymaan Siddiqui पिता श्री Mohammad Aboo Shaukat (M A Shaukat) के नाम से जाना व लिखा जाये। पूर्व नाम :- Mohammad Aymaan पिता का नाम :- Mohammad Aboo Shaukat परिवर्तित नाम :- Md Aymaan Siddiqui पिता का नाम :- Mohammad Aboo Shaukat (M A Shaukat)



मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से स्वास्थ्य विषय पर आयोजित किया शिविर

शहडोल। पंडित शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा ग्राम हरी एवं जनजातीय बालक आश्रम परिसर धुरवार में 'मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से स्वास्थ्य' पर आधारित विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान दोपहर मॉर्निंग कॉल एवं योग व्यायाम, प्रेरक कहानियाँ एवं गीत प्रस्तुत किये गए। शिविर को सम्बोधित करते हुए विशेषज्ञ प्रो. विशाल चैबे ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं

में एंजाइटी एवं डिप्रेशन की समस्याएं बढ़ रही हैं, जिनसे निपटने के लिए सकारात्मक सोच, संवाद एवं स्वस्थ जीवनशैली आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक आदत नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की पहली शर्त है इस अवसर पर डॉ. पी. डी. रावत, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रोवा इकाई से वरिष्ठ स्वयंसेवक विपिन सेन, रकमणि केवट, अभय प्रताप सिंह सहित अन्य प्रोफेसर एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

जुआरी गिरफ्तार, साढ़े 33 हजार और पांच बाइक जब्त

दौरखेड़ा के परासी हार के जंगल में पुलिस ने की कार्रवाई



नवभारत, कटनी। जिले के दौरखेड़ा थाना अंतर्गत परासी हार के जंगल में तासपत्तों से हारजीत का दांव लगा रहे 6 जुआरियों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 33 हजार 5 सौ रुपए और तासपत्तों जब्त किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने पांच मोटर साइकिल भी जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ जुआ एकट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि परासी हार के जंगल में तासपत्तों से हारजीत का दांव लगाए जाने की सूचना मुखबिर से मिली थी। जिसके बाद पुलिस टीम को मौके पर दबिश के लिए भेजा गया। पुलिस टीम को देखकर तासपत्तों से हारजीत का

दांव लगा रहे जुआरियों के बीच भगदड़ मच गई है। पुलिस ने घेराबंदी कर 6 जुआरियों को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि कुछ जुआरी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए हैं। जिनके संबंध पुलिस द्वारा जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने बताया कि फरार हुए जुआरियों और वहां मिली गाड़ियों के मालिकों की पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिन आरोपियों को पकड़ा

गया है उनमें झिन्ना पिपरिया निवासी महेश कुमार चक्रवर्ती, दौरखेड़ा निवासी रिदेश बर्मन, बांध निवासी दिलीप कुमार बर्मन, दौरखेड़ा निवासी इंद्रकुमार पटेल, दौरखेड़ा निवासी भीम ठाकुर, झिन्ना पिपरिया निवासी अजय चक्रवर्ती का नाम शामिल है। पुलिस के ने बताया कि जुआरी काफी समय से क्षेत्र में सक्रिय थे, जंगल के अंदर स्थान बदल-बदल कर तासपत्तों से हारजीत का दांव लगा रहे थे।

न्यायालय तहसीलदार तहसील बुद्धार जिला - शहडोल (म.प्र.)

क्र.	पत्र क्रमांक	आवेदक का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	आवेदित रकबा
1.	13 02/01/2026	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बकहो	बकहो	60	9.364 हे.
2.	14 02/01/2026	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बकहो	झगरहा	333	0.741 हे.
3.	15 02/01/2026	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बकहो	झगरहा	303	1.011 हे.
4.	16 02/01/2026	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बकहो	बकहो	1032	0.263 हे.
5.	24 02/01/2026	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बकहो	झगरहा	1020	0.089 हे.
			झगरहा	1021	0.348 हे.
			झगरहा	1022	0.134 हे.
6.	23 02/01/2026	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बकहो	बकहो	39	4.060 हे.
7.	22 02/01/2026	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बकहो	झगरहा	1075	1.951 हे.
8.	17 02/01/2026	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बकहो	झगरहा	1416/1/1	1.304 हे.

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो मय दरतावेज कारणों सहित स्वयं या अपने विधिक अधिकारों के माध्यम से न्यायालयीन कार्य दिवसों में अपनी आपत्ति 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर सकता है। बाद में प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

तहसीलदार
तहसील - बुद्धार जिला - शहडोल (म.प्र.)